कृपया ... लखनऊ।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या– 1114 / सत्तर–3–2021

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कुल सचिव कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या ...316...
तिथि ...21/05/21...
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सेवा में,

1–निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2–कुलसचिव
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ :दिनांक 20 मई, 2021

विषय:–कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों / कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1109 / सत्तर–3–2021 दिनांक 19 मई 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में शिक्षकों / कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में प्रदेश स्थित कतिपय ऐसी निजी संस्थाएं जिनके द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु उन संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व अन्य स्टॉफ को वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश स्थित जिन निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

संख्या– (1) / सत्तर–3–2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2–कुलपति समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : R/304/21 **/सम्ब. अनु. / 2020**
दिनांक : 22.05.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
लखनऊ विश्वविद्यालय से से सहयुक्त समस्त महाविद्यालय,
लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं लखीमपुर खीरी।

महोदय / महोदया,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के उपरोक्त पत्र दिनांक 20 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करे का कष्ट करें जिसके द्वारा निजी शैक्षिक संस्थाओं को शिक्षकों व अन्य स्टाफ के कोविड–19 के दृष्टिगत वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के निर्देशानुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 20.05.2021 का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
2. इंचार्ज, वेबसाईट, ल0वि0वि0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करने एवं विश्वविद्यालय की वेबाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव